


20.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत पत्रावली दिनांक  
11.03.2024 को न्यायालय हाजा को स्थानांतरित के बाद  
पक्षकारान/ वकूलाय को सूचित किया गया। न्यायालय हाजा  
को स्थानांतरित होने बाद अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.07.  
2024 को न्यायालय हाजा में प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थिति दी  
गई। दरम्यान सुनवाई प्रार्थी को उपस्थिति हेतु निगरानी में अंकित  
पते पर नोटिस भेजा गया, जो बाद सम्यक् तामील शामिल  
पत्रावली है। दिनांक 11.07.2024 के बाद से ही न तो अधिवक्ता  
प्रार्थी और न स्वयं प्रार्थी ने प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थिति दी  
है। दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की तलबी  
हेतु तलबाना मय नोटीस पेश करने के आदेश दिये गये है,  
जिसकी पालना में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तलबाना मय नोटीस  
पेश नहीं किये जा रहे है। प्रार्थी का यह दायित्व है कि न्यायालय  
हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र की पैरवी हेतु असालतन या  
वकालतन उपस्थित रहें। लिहाजा प्रार्थी की निरन्तर अनुपस्थिति  
में विचाराधीन पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान  
पंचायती राज अधिनियम में प्रार्थी के पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार  
को सुरक्षित रखते हुए आदेश 09 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत  
अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली